



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2026/48

--:आदेश:-

दिनांक 28-01-26

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का भाटुन्द तथा तहसीलदार बाली की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाटुन्द पटवारी हल्का भाटुन्द तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 190 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाटुन्द	190	नटवरलाल पुत्र साकलेश्वर	नरेन्द्रकुमार उर्फ नटवरलाल पुत्र साकलेश्वर



क्रमांक/कोर्ट/2026/172-174
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का भाटुन्द को पालनार्थ।
3. प्रार्थी नरेन्द्रकुमार पुत्र साकलेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी भाटुन्द तहसील बाली को सूचनाार्थ।

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 30-01-26

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

